an>

Title: Regarding shortlisting of candidates applying for various posts of Navy and Air Force.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर): महोदया, मैं जिस विषय पर पिछले 7 दिनों से प्रयास कर रहा था, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे उस विषय को आज सदन के संज्ञान में लाने का अवसर दिया।

महोदया, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना में विभिन्न पदों की भर्ती के लिए अखबारों में एडवरटिज्मेंट्स निकलते हैं। इन एडवरटिज्मेंट्स में मिनिमम क्वॉलिफिकेशन मार्क्स 50 परसेंट और 60 परसेंट रिसपेक्टिवली दिखाए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स इन पदों के लिए अप्लाई करते हैं, वे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसकी फीस जमाकर के एक साल तक विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जाकर एग्जाम की तैयार करते हैं। जब एग्जाम के समय इन स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड इश्यू किया जाता है, तो उसमें कई स्टूडेंट्स को 50 परसेंट से लेकर 75 परसेंट के आधार पर स्क्रूटनी कर के उनके एडमिट कार्ड इश्यू नहीं किए जाते हैं। उन्हें एग्जाम देने के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है।

महोदया, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि यू.पी.एस.सी. के सिविल सर्विसेज़ के एग्जाम, आर्मी के सी.डी.एस. एग्जाम और बाकी अन्य एग्जाम्स में भी प्रारंभिक परीक्षा देने का अवसर सभी एप्लीकेंट्स को मिलता है। यह संविधान के तहत फंडामेन्टल राइट - 'राइट टू इक्वॉलिटी' का विÂाय है, जिससे लोगों को दूर किया जा रहा है।

महोदया, इन परीक्षाओं के केंद्र वेस्ट बंगाल के बैरकपोर, असम आदि जगहों में बनाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान और देश के बाकी प्रांतों से विद्यार्थी, ये परीक्षाएँ देने जाते हैं। जो विद्यार्थी इन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, उन्हें अपने मेडिकल टैस्ट के लिए 15 दिनों तक वहाँ रहना पड़ता है। इस दौरान इन विद्यार्थियों के काफी पैसे खर्च होते हैं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि शार्टलिस्टिंग के नाम पर 50 परसेंट से लेकर 75 परसेंट अंक की क्वॉलिफिकेशन वाले बच्चों के लिए या तो सरकार यह निर्णय करे कि ऐसे बच्चों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने का अधिकार नहीं है। यदि इन बच्चों को एप्लीकेशन फार्म भरने का अधिकार दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उन्हें परीक्षा देने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री गोपाल शेट्टी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री ओम बिरला को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Now, Dr. A. Sampath. I think, today only this subject was there.